एकता विश्वास संघर्ष
सत्यमेव जयते
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0
सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ—226 001
उ0प्र0रा0वि0प0 आदेश सं0 8022-F(IR-I)90H/73 दि0 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त
सोसाइटी रजि0 अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672 दिनांक 08.09.1981
(सम्बद्धता : आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं उ.प्र.डि.इं.महासंघ)
मेल पता : sachivrvpjes@gmail.com मोबाइल : 9415900262, 9452735122 वेबसाइट : www.rvpjes.org

पत्रांकः /स—7/संघर्ष नोटिस/ज्ञापन दिनांकः

ज्ञापन प्रारूप

सेवा मे,
मा0 अध्यक्ष
उप्रपाकालि/उप्राविउनिलि
उप्रपाट्राकालि/उप्रजविनिलि
शक्ति भवन, लखनऊ।

समाध्यम
____
____

महोदय,

कृपया संगठन के केन्द्रीय कार्यालय पत्रांक— 119/स—7 दिनांक—27—08—2021 एवं पत्रांक—122/स—7 दिनांक—03—09—2021 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करे। **आप सहमत होंगे कि उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र मे विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से लेकर उ0प्र0 सरकार/शासन के मुख्य स्लोग्न ''उपभोक्ता देवो भवः'' को धरातल पर चरित्रार्थ करने मे अवर अभियन्ता संवर्ग की महती भूमिका होती है।** विपरीत पारिस्थितियो मे भी यह संवर्ग अपने प्राणो की परवाह किये बिना निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के प्रति सदैव तत्पर दृढ़संकल्पित रहता है।

अवर अभियन्ताओ एवं प्रोन्नत अभियन्ताओ की बेहद न्यायोचित ज्वलन्त मांगो व समस्याओ जिनके निस्तारण हेतु विगत मे केन्द्रीय इकाई के प्रतिनिधिमंडल की शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन के साथ की कई चक्रो के वार्ताओ मे स्पष्ट **सहमतियां बनने के बावजूद कारपोरेशन स्तर से एक लम्बे समय तक आदेशो का जारी न किया जाना अथवा कतिपय जारी आदेशो का क्रियान्वयन न कराये जाने से** यह संवर्ग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जिस कारण प्रदेश भर के अवर अभियन्ता एवं प्रोन्नत अभियन्ताओ मे व्यापक रोष एवं निराशा व्याप्त होने के दृष्टिगत मजबूरन बाध्य होकर संगठन के **केन्द्रीय इकाई द्वारा न्याय की अपेक्षा मे** उपरोक्त कार्यालय पत्रांकों के माध्यम से **लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किये जाने के निर्णय की सूचना आपको पूर्व मे ही प्रेषित की जा चुकी है,** जिनका विवरण निम्नवत हैः—

ध्यानाकर्षण कार्यक्रम

क्र0सं0	दिनांक	ध्यानाकर्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम स्थल।
01	07.09.2021	विभागीय उच्चाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषण।	ऊर्जा क्षेत्र के समस्त मंडल स्तर पर
02	08.09 2021 से 12.09.2021 तक	मा0 जनप्रतिनिधिगण, को ज्ञापन प्रेषित किया जाना।	प्रदेश के सभी जनपद/परियोजना स्तर पर।
03	13.09.2021 से	24 घंटे का सामूहिक उपवास (प्रातः 10:00 बजे से अगले दिन 10:00 बजे तक — पाली कार्य को छोड़कर)।	सभी जनपद/परियोजना मुख्यालयों के शीर्षस्थ विभागीय कार्यालय पर।
04	21.09.2021 से 22.09.2021 तक	दो द्विवसीय क्रमिक अनशन (प्रातः 10:00 बजे से — पाली कार्य को छोड़कर)।	सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय एवं परियोजना मुख्यालयों पर।
05	27.09.2021 से अनवरत	अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन प्रातः 10:00 बजे से (न्यूतम 51 सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा)	शक्ति भवन, लखनऊ पर।
विशेष :—दिनांक 07.09.2021 से आंदोलन जारी रहने (उपरोक्त घोषित सामूहिक उपवास एवं दो द्विवसीय क्रमिक अनशन तिथियों को छोडकर) तक समस्त अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता नियमानुसार कार्य (वर्क टू रूल) करेंगे तथा बेनियम कार्यों का बहिष्कार करते हुए जनपद/परियोजना शाखा पर सायं 5:00 से 6:00 तक विरोध सभा करेंगे।			

अतएव संगठन अनुरोध करना चाहेगा कि कृपया पत्र में उल्लिखित उपरोक्त माँग पत्र के मांगो/समस्याओ का निस्तारण एवं पूर्व मे बनी विभिन्न सहमतियो के क्रम मे यथोचित आदेश शीघ्रातिशिघ्र जारी किये जाने की कृपा करे जिससे कि वर्तमान मे उ0प्र0 ऊर्जा उद्योग मे प्रबन्धन एवं कार्मिको के मध्य उत्पन्न आपसी अविश्वास के वातावरण को समाप्त किये जाने के साथ अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ताओ को न्याय प्रदान कर औद्योगिक शान्ति को मजबूती प्रदान किया जाना सम्भव हो सके।

आदर सहित।

संलग्नकः– यथोपरि (माँग–पत्र)

(——————————)

मंडल सचिव

——————————————

——————————————

पत्रांक : /स–7 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. केन्द्रीय अध्यक्ष/महासचिव रा0वि0प0जू0इं0 संगठन उ0प्र0, 6 गोखले मार्ग, सहयोग सदन लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अध्यक्ष/सचिव ——————— क्षेत्र।
3. परियोजना अध्यक्ष/सचिव ———————
4. जनपद अध्यक्ष/सचिव ————————————
5. संगठन कार्यालय रिकार्ड फाईल प्रति ।

(——————————)

मंडल सचिव

——————————————

——————————————

माँग – पत्र

1. **अवर अभियन्ता की ए0सी0पी0 दीर्घा में आने वाले नान फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800/– के वेतनमान को ए0सी0पी0 की दीर्घा से विलोपित कर प्रथम समयबद्ध वेतनमान ग्रेड पे 5400/– किया जाए।**
2. **अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्त कार्मिकों, जिनके तृतीय ए0सी0पी0 के आदेश दिनांक 01.01.2020 एवं 16.08.2021 को निर्गत किया जा चुके है उनका वेतन निर्धारण निगम/कारपोरेशन में विद्यमान व्यवस्था के क्रम में ग्रेड वेतन 8700/– (लेवल–12) में निर्धारित कर वेतन पर्ची अतिशीघ्र जारी की जाए।**
3. अवर अभियन्ता का ग्रेड वेतन रू0 4600/– को 6वे वेतन की प्रभावी तिथि दि0–01.01.2006 से लागू किया जाए।
4. सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता के द्वितीय ए0सी0पी0 के प्रारम्भिक वेतनमान पर देय 02 वेतन वृद्धि लाभ के अनुरूपता मे प्रोन्त सहायक अभियन्ता के तृतीय ए0सी0पी0 में प्रारम्भिक वेतनमान पर 02 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया जाये।
5. **प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का वरिष्ठता निर्धारण सेवा नियम के तहत संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष/आपत्तियों पर समग्रताओं में विचार को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार न्यायपरक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**
6. वर्ष 2000 के पश्चात उ0प्र0 ऊर्जा के समस्त निगमों के सेवा में आये कार्मिकों पर पुरानी पेशन योजना (जी0पी0एफ0) व्यवस्था की पुर्नबहाली की जाए।
7. अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के वार्षिक ए0सी0आर0 के नये प्रारूप में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु संगठन द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूपता में प्रबन्धन से बनी सहमतियों के क्रम में संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए।
8. अवर अभियन्ताओं को साइट स्टोर उपलब्ध कराये जाने हेतु बनी स्पष्ट सहमतियों के क्रम में यथाशीघ्र उचित आदेश निर्गत किये जाए।
9. संगठन द्वारा विद्युत थानों एवं प्रवर्तन दल का उचित सदुपयोग एवं विद्युत चोरी पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिये गये सुझावों को लागू किये जाने के लिए आवश्यक आदेश एवं दिशा–निर्देश जारी किये जाये।
10. **विभिन्न एप्प/पोर्टल तथा ERP माध्यम से कार्य सम्पादन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र किये जाये** एवं पोर्टल/ERP में व्यवस्था–दोष के कारण त्रुटिपूर्ण आँकडों के आधार पर जूनियर इंजिनियरों एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं के विरूद्ध की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों पर तत्काल विराम लगाया जाए एवं अव्यावहारिक जाँचों के आधार पर अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं के उत्पीड़न की कार्यवाही अतिशीघ्र समाप्त कराये जाए।
11. उ0प्र0 ऊर्जा के समस्त निगमों में कार्य की अतिभारिता एवं लक्ष्यों की व्यावहारिक प्राप्ति के दृष्टिगत यार्डस्टिक के अनुसार काार्मिकों के नये पदों के सृजन एवं भर्तियों की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराए जाए एवं पा0का0लि0 में नवसृजित उपखण्डों को सुचारू रूप से संचालन हेतु यथावश्यक न्यूनतम संसाधनों की व्यवस्था सहित उनके विरूद्ध सहायक अभियन्ताओं की तत्काल तैनाती की जाए।
12. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में अवर अभियंताओं एवं अन्य कार्मिकों की भारी कमी को सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा भरा जाए। वर्षो से लंबित जल विद्युत निगम का उ0प्र0रा0वि0उ0नि0 मे विलय अतिशीघ्र किया जाए तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 का उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 में विलय किया जाए।
13. उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन निगम लि0 में विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षण 7वे वेतन आयोग की अनुरूपता में किया जाए, प्रोत्साहन भत्ते के लंबित आदेश निर्गत किया जाए तथा जवाहरपुर परियोजना की विशेष परिस्थितियों के कारण पूर्व में दिए जा रहे निर्माण भत्ता एवं विशेष नगर प्रतिकर भत्ता को स्थगित कर दिया गया था, उसे तत्काल बहाल किया जाय एवं परियोजनाओं पर चिकित्सा और आवास की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

14. पा0का0लि0 की अनुरूपता में उ0नि0लि0 में अवर अभियन्ता (वि0 एवं यां0) से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति कोटा 1.33% कोटे का समानुपातिक रूप से विलय करते हुए क्रमशः 41.10% एवं 8.56% का आदेश जारी कराये जाने के साथ रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्यवाही अतिशीघ्र कराये जाए।

15. पा0का0लि0 में प्रचलित ई0आर0पी0 की अनुरूपता में उ0नि0लि0 में प्रस्तावित ई0आर0पी0 की व्यवस्था में भी अवर अभियन्ता को उसके विशिष्ट कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकार/व्यवस्था प्रदान की जाए।

16. विगत समय में संगठन एवं प्रबन्धन के मध्य हुयी वार्ता के क्रम में जारी कार्यवृत्त एवं सहमतियों के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर उचित आदेश जारी किये जाये।

17. कोरोना संक्रमण से दिवंगत विद्युत कार्मिकों, जूनियर इंजीनियरों/अभियन्ताओं के परिजनों को उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक अनुग्रह राशि रू0 50.00 लाख की स्वीकृति व भुगतान यथाशीघ्र किया जाये एवं उ0प्र0ऊर्जा के समस्त निगमों में चिकित्सा हेतु कैशलेस व्यवस्था तत्काल लागू कराया जाए।

18. सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं के विभिन्न समस्याओं के सन्दर्भ में पूर्व में संगठन द्वारा प्रेषित माँग पत्रों पर विचार कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराया जाए।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव